

भाग - III

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 अगस्त, 2014

संख्या कां०आ० 86/ह०अ० 11/1994/धा० 8/2014.—हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11), की धारा 8 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 7 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, ग्राम पंचायत नागल गोघ, खण्ड सीवन, जिला कैथल के सभा क्षेत्र से गांव गोघ के क्षेत्र को निकालते हैं तथा नीचे दी गई अनुसूची के खाना 3 में इस प्रकार निकाले गए तथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र को सभा क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं तथा उक्त अनुसूची के क्रमशः खाना 1 तथा 2 में यथावर्णित खण्ड तथा जिले में उक्त सभा क्षेत्र के लिये उक्त अनुसूची के खाना 4 में यथावर्णित गोघ के नाम से ग्राम पंचायत स्थापित करते हैं, अर्थात् :-

अनुसूची

खण्ड का नाम	जिला	गांव/सभा क्षेत्र का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	2	3	4
सीवन	कैथल	गोघ (हदबस्त संख्या 92)	गोघ

तथापि, यह अधिसूचना पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनावों के समय से प्रभावी होगी।

राम निवास,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Notification

The 4th August, 2014

No. S.O. 86/H.A. 11/1994/S. 8/2014.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (3) of section 7 read with sub-section (1) of section 8 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (Haryana Act 11 of 1994), the Governor of Haryana hereby excludes the area of village Gogh from the sabha area of Gram Panchayat Nagal Gogh, block Siwan, district Kaithal and declares the area so excluded and specified in column 3 of the Schedule given below to be sabha area and establishes Gram Panchayat by the name of Gogh as mentioned in column 4 of the said Schedule for the said sabha area in block and district as mentioned in column 1 and 2 respectively of the said Schedule, namely:—

SCHEDULE

Name of Block	District	Name of Village/ Sabha Area	Name of Gram Panchayat
1	2	3	4
Siwan	Kaithal	Gogh (Hadbast No. 92)	Gogh

However, this notification shall be effective from the time of next general elections of Panchayati Raj Institutions.

RAM NIWAS,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Development and Panchayats Department.